



गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना



15 लाख रुपये तक का collateral free शिक्षा ऋण | राज्य सरकार की पूर्ण गारंटी
4% p.a. सरल ब्याज दर | आय स्तर तथा सामाजिक श्रेणी के सीमाओं से मुक्त शिक्षा ऋण


छात्रों के लिए आहर्ता मानदंड

- झारखंड के स्थानीय निवासी या झारखंड से 10वीं और 12वीं /डिप्लोमा उत्तीर्ण
- योजना के अंतर्गत योग्य शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित
- 40 वर्ष से कम की आयु तथा योजना का पूर्व लाभार्थी न होना

संस्थानों के लिए आहर्ता मानदंड

- NAAC 'A' ग्रेड या अधिक की वैध मान्यता प्राप्त हो
- NIRF रैंकिंग की Overall Category में शीर्ष 200/ Individual Category (Innovation, Open, Skill को छोड़कर) में शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त हो
- Institutes of National Importance के रूप में अधिसूचित
- Institutes of Eminence के रूप में अधिसूचित
- सभी इंस्टीटूट्स ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड नुट्रिशन
- सभी राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT)
- सभी राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (NID)
- MBBS, स्नातकोत्तर और चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सुपर-स्पेशलाइजेशन के लिए झारखंड में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज और डीम्ड विश्वविद्यालय
- ज़ेवियर इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस, रांची
- National Institute of Advanced Manufacturing Technology, Ranchi
- बी इ टी सिंदरी, धनबाद
- केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (CIPET), रांची
- बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची

भाग लेने वाले बैंकों की सूची



उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
झारखंड सरकार



गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना



एप्लीकेशन प्रोसेस की विस्तृत विवरणी

क. पात्रता जांचें

1. गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वेब पोर्टल <https://gssc.jharkhand.gov.in/> पर छात्र और संस्थान के पात्रता की जांच करें।
2. यदि संस्थान पात्रता मानदंडों को पूरा करता है और योजना में शामिल नहीं किया गया है, तो कृपया वैध दस्तावेजों के साथ nepdhte.jharkhand@gmail.com पर शामिल करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करें।

ख. एप्लीकेशन फॉर्म जमा करें

1. अपना फोटो, हस्ताक्षर और अन्य आवश्यक विवरण अपलोड करके वेब पोर्टल पर पंजीकरण पूरा करें।
2. GSCC Virtual पंजीकरण कार्ड डाउनलोड करें तथा प्रवेश, शैक्षणिक, व्यक्तिगत और वित्तीय विवरण प्रदान करें।
3. भाग लेने वाले बैंकों की सूची से ऋणदाता बैंक (MLI) एवं शाखा का चयन करें।
4. आधार प्रमाणीकरण पूरा करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर एप्लीकेशन फॉर्म जमा करें।

ग. सत्यापन और स्वीकृति

1. सत्यापन और आगे की प्रक्रिया के लिए चयनित बैंक की शाखा में अपेक्षित दस्तावेज के साथ भ्रमण करे और आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करें।
2. बैंक द्वारा आवेदन स्वीकृत होने पर Application Status **Submitted** से **Approved** में बदल जाएगी।
3. बैंक की सूचना पर Tripartite Agreement पर हस्ताक्षर पूर्ण करें।
4. ऋण की स्वीकृति का अपेक्षा करे था समय समय पर संबंधित संबंधित ब्रांच से संपर्क करें।

घ. ऋणों का वितरण और पुनर्भुगतान

1. बैंक द्वारा Tripartite Agreement पर DHTe के हस्ताक्षर के उपरांत संबंधित शैक्षणिक संस्थान बैंक कहते में मांग पात्र के अनुसार Institutional Expense वृत्रित किया जायेगा।
2. ब्याज की गणना वितरण की तिथि से शुरू होगी, तथा पाठ्यक्रम पूरा होने तक ब्याज पर Moratorium उपलब्ध रहेगा।
3. ब्याज या EMI का भुगतान वितरण के तुरंत बाद अथवा Moratorium अवधि पूरी होने के पश्चात भुगतान किया जा सकेगा।
4. समय समय पर बैंक के अनुरोध पर झारखंड सरकार के ब्याज का हिस्सा त्रैमासिक डर पर भुगतान किया जायेगा और इसे GSCC वेब पोर्टल के छात्र Dashboard पर अपडेट किया जायेगा।

प्रश्नों और शिकायतों के मामले में

ऋण प्रसंस्करण से संबंधित



GSCC वेब पोर्टल पर उपलब्ध बैंक के क्षेत्रीय/जिला नोडल अधिकारी



कृपया संबंधित अधिकारियों से उनके ईमेल आईडी पर संपर्क करें

योजना/संशोधन संबंधी



1800-569-3311



nepdhte.jharkhand@gmail.com